



राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प.1(1)कार्मिक/क-4/ 2020

जयपुर, दिनांक : 08-10-2020

आज्ञा

राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में पूर्णतया सम्मिलित तीन जिलों डूंगरपुर, बांसवाडा एवं प्रतापगढ को छोडकर अन्य सभी जिलों की जिला परिषदों में सृजित "मुख्य कार्यकारी अधिकारी -सह- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ई.जी.एस." का पदनाम "मुख्य कार्यकारी अधिकारी -सह- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ई.जी.एस. एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा)" एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से परिवर्तित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 2 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, मा. राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 वरिष्ठ उप सचिव/मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 8 समस्त सम्भार आयुक्त / जिला कलक्टर, राजस्थान।
- 9 आयुक्त एवं शा. सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 10 आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 11 समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद / अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् -कम-अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ई.जी.एस. एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा)।
- 12 सिस्टम-एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कम्प्यूटर सेल, कार्मिक विभाग।
- 13 निजी पत्रावली / संक्षिप्त पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

1 प्रतिलिपि अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव

FC  
S. TAD / C TAD